



लविवि के छात्र एक साथ ले सकेंगे दो डिग्रियां

प्रवेश व परीक्षा समिति की बैठक में आज लगेगी मुहर

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू करने वाला लखनऊ विवि अपने यहां डुअल डिग्री प्रोग्राम लागू करने जा रहा है। मंगलवार को होने वाली प्रवेश समिति की बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा के बाद मुहर लगेगी।

यूजीसी की ओर से पिछले दिनों एनईपी के तहत विश्वविद्यालयों को डुअल डिग्री प्रोग्राम लागू करने के निर्देश दिए गए थे। इन्गू की ओर से पिछले दिनों इस सुविधा को लागू किया जा चुका है। अब लखनऊ विश्वविद्यालय भी इसे लागू करने की तैयारी में जुट गया है। इसके तहत एक नियमित कोर्स के साथ विद्यार्थी ऑनलाइन या मुक्त विश्वविद्यालय से दूसरा कोर्स कर सकता है। इससे विद्यार्थियों को अपने कौशल विकास को गति देने में सहयोग मिलेगा और उनका काफी समय भी बच सकेगा।

डुअल डिग्री प्रोग्राम लागू करेगा विवि, ओएमआर शीट दिखाने व विद्यार्थियों के स्थानांतरण पर भी होगा विचार

वहीं प्रवेश समिति में एनईपी के तहत विद्यार्थियों के स्थानांतरण व क्रेडिट ट्रांसफर नीति को लागू करने पर भी विचार करेगा। साथ ही एन सत्र 2022-23 में पीएचडी प्रवेश के विस्तृत कार्यक्रम पर भी मुहर लगेगी।

दूसरी तरफ परीक्षा समिति की बैठक में विद्यार्थियों को एमसीक्यू पैटर्न पर होने वाली परीक्षा के बाद ओएमआर शीट दिखाने पर भी निर्णय लेगा। अभी लिखित परीक्षा के बाद एक निर्धारित शुल्क देकर कॉपियों को देखने की व्यवस्था थी लेकिन एमसीक्यू पैटर्न में इसे लेकर कोई नियम नहीं था। जबकि विद्यार्थियों की ओर से इसकी भी मांग की जा रही थी। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ओएमआर शीट की कॉपी दिखाएगा।

डॉ. रमेश चंद्र त्रिपाठी को दी श्रद्धांजलि

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में स्व. डॉ. रमेश चंद्र त्रिपाठी की साहित्यिक सेवाओं को याद करते हुए शिक्षकों व विद्यार्थियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। डॉ. रमेश चंद्र त्रिपाठी का तीन दिसंबर को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। वे हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में 1990 में प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुए थे। वहीं पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष पद का दायित्व भी निभाया। उन्होंने कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी व कार्यशालाओं के संयोजन के साथ ही पत्रकारिता के सिद्धांत पर किताबें भी लिखीं। उन्हें उग्र हिंदी संस्थान की ओर से पत्रकारिता भूषण से सम्मानित किया गया था। वहीं चौधरी चरण सिंह विवि मेरठ के तिलक पत्रकारिता एवं जनसंचार स्कूल में भी डॉ. त्रिपाठी को श्रद्धांजलि दी गई। (माई सिटी रिपोर्टर)



डॉ. रमेश चंद्र त्रिपाठी। फाइल फोटो

मौलिक अधिकार व कर्तव्य बताए

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के विधिविभाग के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल जानकीपुरम सेक्टर-6 में विधिक साक्षरता शिविर का शुभारंभ विधिक सहायता केंद्र के सदस्य सुयश त्रिपाठी ने किया। उन्होंने छात्रों को मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी दी। सदस्य मोहम्मद दानिश ने अनुच्छेद 32 के जरिए संवैधानिक निदान की जानकारी दी गई। प्रधानाचार्य नीरू भास्कर और विधिक सहायता केंद्र की सदस्य काव्यांजलि सिंह आदि मौजूद रही। (माई सिटी रिपोर्टर)



HINDUSTAN PAGE 6

लॉ पीएचडी कोर्स वर्क कक्षाएं 12 से

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ पीएचडी में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों की कोर्स वर्क कक्षाएं 12 दिसम्बर से होंगी। विश्वविद्यालय में विधि संकायाध्यक्ष प्रो. बीडी सिंह ने बताया कि कोर्स वर्क की कक्षाएं विधि के द्वितीय परिसर में स्थित विधि संकाय में दोपहर एक बजे से संचालित होंगी। जिसमें सभी छात्र एवं छात्राओं को शामिल होना होगा। उन्होंने कहा कि समय से कोर्स पूरा करना हमारी प्राथमिकता है।

i-NEXT PAGE 4

एलयू में एक साथ दो डिग्री देने की तैयारी

प्रवेश और परीक्षा समिति की बैठक आज, कई प्रस्ताव पट होना विचार

LUCKNOW (5 Dec): लखनऊ विश्वविद्यालय जल्द ही अपने यहां एक साथ डुअल (दो) डिग्री लेने की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मंगलवार को कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय की अध्यक्षता में प्रवेश समिति की बैठक होगी, जिसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।



यूजीसी ने डुअल डिग्री की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। उसी क्रम में लवि में इसे लागू करने, नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों के स्थानांतरण की नीति निर्धारण पर प्रवेश समिति की बैठक में चर्चा होगी। संजय मेहता, कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय

डिग्री ले सकता है। यूजीसी की ओर से जारी इन निर्देशों के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय भी अपने यहां लागू करने की तैयारी में है।

बैठक में की जाएगी चर्चा

प्रवेश समिति की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके अलावा नई शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत छात्र-

छात्राओं के स्थानांतरण की नीति निर्धारण करने और पीएचडी सत्र 2022-23 के दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा।

कापी देखने की सुविधा

लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र-छात्राओं को एमसीक्यू परीक्षा की कॉपियां देखने

विधि पीएचडी कोर्स वर्क की कक्षाएं 12 से

LUCKNOW (5 Dec): लखनऊ विश्वविद्यालय में विधि पीएचडी सत्र 2021-22 की कोर्स वर्क की कक्षाएं 12 दिसंबर से शुरू होंगी। विधि संकाय के डीन प्रो. बीडी सिंह ने सोमवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उन्होंने बताया कि कोर्स वर्क की कक्षाएं एलटी-01 विधि संकाय परिसर में दोपहर एक बजे से लगेगी। सभी शोधार्थियों की उपस्थिति जरूरी है।

पीजी छात्रों की इंटरनशिप शुरू

जास, लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय की टैगोर लाइब्रेरी में सोमवार को वेस्टर्न हिस्ट्री के परास्नातक छात्र-छात्राओं का इंटरनशिप प्रोग्राम शुरू हो गया। लाइब्रेरी की डिप्टी लाइब्रेरियन डा. ज्योति मिश्रा ने पहले दिन विद्यार्थियों को लाइब्रेरी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यह इंटरनशिप 15 दिन चलेगी। इसे पूरा करने के बाद विद्यार्थियों को अंक भी दिए जाएंगे।

टी अनुच्छेद की जानकारी

लखनऊ विश्वविद्यालय के विधिक सहायता केंद्र एवं जिला विधिक प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में डीपीएस जानकीपुरम में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। केंद्र की सदस्य सुयश त्रिपाठी ने विद्यार्थियों को विधिक सहायता केंद्र व मौलिक अधिकार के बारे में बताया। उन्हें अनुच्छेद के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

की तैयारी है।

प्रो. रमेश त्रिपाठी को श्रद्धांजलि

लखनऊ यूनिवर्सिटी के हिन्दी विभाग के प्रोफेसर रमेश चंद्र त्रिपाठी का लंबी बीमारी के बाद तीन दिसंबर को निधन हो गया था। सोमवार को विभाग में उनकी साहित्यिक सेवाओं

का स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि सभा की गई, जिसमें विभागीय शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हिन्दी विभाग की हेड प्रो. रश्मि कुमार ने बताया कि प्रो. त्रिपाठी हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में 1990 में प्रवक्ता नियुक्त हुए थे।

विधि पीएचडी कोर्स वर्क की कक्षाएं 12 से

जास, लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय में विधि पीएचडी सत्र 2021-22 की कोर्स वर्क की कक्षाएं 12 दिसंबर से शुरू होंगी। विधि संकाय के डीन प्रो. बीडी सिंह ने सोमवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उन्होंने बताया कि कोर्स वर्क की कक्षाएं एलटी-01 विधि संकाय परिसर में दोपहर एक बजे से लगेगी।

पीजी छात्रों की इंटरनशिप शुरू : लखनऊ विश्वविद्यालय की टैगोर लाइब्रेरी में सोमवार को वेस्टर्न हिस्ट्री के परास्नातक छात्र-छात्राओं का इंटरनशिप प्रोग्राम शुरू हो गया। लाइब्रेरी की डिप्टी लाइब्रेरियन डा. ज्योति मिश्रा ने लाइब्रेरी के बारे में जानकारी दी। यह इंटरनशिप 15 दिन चलेगी। इसे पूरा करने के बाद विद्यार्थियों को अंक भी दिए जाएंगे।

अनुच्छेद की टी जानकारी : लखनऊ विश्वविद्यालय के विधिक सहायता केंद्र एवं जिला विधिक प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में डीपीएस जानकीपुरम में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। केंद्र की सदस्य सुयश त्रिपाठी ने विद्यार्थियों को विधिक सहायता केंद्र व मौलिक अधिकार के बारे में बताया।

लवि : द्रोणाचार्य अतिथि कक्ष का लोकार्पण आज

लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय के हबीबुल्लाह छात्रावास में तैयार द्रोणाचार्य अतिथि कक्ष का लोकार्पण मंगलवार शाम को कुलपति प्रो. आलोक राय करेंगे। कमरा नंबर 79 को सुविधायुक्त बनाकर इसका नाम द्रोणाचार्य अतिथि कक्ष रखा गया है। छात्रावास के प्रोबोस्ट डा. महेंद्र अग्निहोत्री ने बताया कि छात्रों के माता-पिता मिलने आते हैं, तो उनके रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी। अब कमरा नंबर 79 को अतिथि कक्ष के रूप में तैयार किया गया है। (जास)

प्रो. रमेश को दी श्रद्धांजलि

लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के प्रो. रमेश चंद्र त्रिपाठी का लंबी बीमारी के बाद तीन दिसंबर को निधन हो गया था। सोमवार को श्रद्धांजलि सभा की गई, जिसमें उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। हिन्दी विभाग की हेड प्रो. रश्मि कुमार ने बताया कि प्रो. त्रिपाठी उन्होंने संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं के संयोजक रूप में अभूतपूर्व ख्याति अर्जित की थी। (जास)



प्रो. रमेश चन्द्र त्रिपाठी (फाइल फोटो)

प्रो. रमेश चंद्र त्रिपाठी को दी श्रद्धांजलि

वरिष्ठ संवाददाता (vol)



लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में प्रो. रमेश चन्द्र त्रिपाठी की साहित्यिक सेवाओं का स्मरण करते हुए सोमवार को एक श्रद्धांजलि सभा की गयी। जिसमें विभागीय शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्राध्यक्ष उपस्थित रहे।

विभाग के वरिष्ठ आचार्य डॉ. रमेश चंद्र त्रिपाठी का 3 दिसंबर को लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया। प्रो. त्रिपाठी लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में 1990 में प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुए। इससे पूर्व युवराज दत्त पीजी कॉलेज लखीमपुर में शिक्षक थे। 1998 से 2005 तक हिन्दी विभाग के उपाध्यक्ष रहे। इसी बीच पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष का दायित्व मिला, जिसे उन्होंने अत्यंत कर्मठता और कुशलता के साथ निर्वहन किया। हिन्दी विभाग में अध्यापन करते हुए

2017 में निवर्तमान हुए। उनके द्वारा निराला की पत्रकारिता, छात्रावास युगीन पत्रकारिता पर एमफिल एवं पीएचडी शोध कार्य किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संस्थान से एक वृहद शोध परियोजना पर कार्य किया। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं के संयोजक रूप में अभूतपूर्व ख्याति अर्जित की। पत्रकारिता के सिद्धांत पर लिखी पुस्तक छात्रों के बीच अधिक लोकप्रिय हुई। उप हिन्दी संस्थान द्वारा पत्रकारिता भूषण से अलंकृत किये गये। इसके अतिरिक्त अनेक संस्थाओं से भी पुरस्कृत हुए।

SWATANTRA BHARAT PAGE 2

KANWHIZZ TIMES PAGE 3

PRERNA UDGHOSH PAGE 4

विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

स्वतंत्र भारत संवाददाता, लखनऊ। राजधानी के लविवि के विधि संकाय की प्रतिष्ठित संस्था विधिक सहायता केंद्र व जिला विधिक प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन विधि संकाय के अधिष्ठाता प्रो. डॉ. बी.डी. सिंह एवं विधिक सहायता केंद्र के अध्यक्ष डॉ. आलोक कुमार यादव के मार्गदर्शन में किया गया। शिविर का शुभारंभ केंद्र के सदस्य सुयश त्रिपाठी द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को केंद्र के संबंध में जानकारी देते हुए किया गया। इस कार्यक्रम की अग्रिम कार्यवाही में उपस्थित छात्रों को मौलिक अधिकारों की जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित छात्रों को अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 के मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवरण दिया गया। इसके उपरांत विधिक सहायता केंद्र के सदस्य मो. दानिश द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को अनुच्छेद 32 के जरिए संवैधानिक निदान की जानकारी दी गई। शिविर के अग्रिम कार्यवाही में छात्रों को अनुच्छेद 51-अ के अंतर्गत आने वाले मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया।

हिन्दी विभाग में श्रद्धांजलि

सभा का आयोजन

स्वतंत्र भारत संवाददाता, लखनऊ। हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रो. रमेश चन्द्र त्रिपाठी की साहित्यिक सेवाओं का स्मरण करते हुए एक श्रद्धांजलि सभा की गई जिसमें विभागीय शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्राध्यक्ष उपस्थित रहे। विभाग के वरिष्ठ कुलपति आचार्य डॉ. रमेश चंद्र त्रिपाठी का 3 दिसंबर को लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया। प्रो. त्रिपाठी 1990 में एलयू में हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुए। इससे पूर्व युवराज दत्त पीजी कॉलेज लखीमपुर में शिक्षक थे। 1998 से 2005 तक हिन्दी विभाग के उपाध्यक्ष रहे और इसी बीच पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष का दायित्व प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने अत्यंत कर्मठता और कुशलता के साथ निर्वहन किया। हिन्दी विभाग में अध्यापन करते हुए 2017 में निवर्तमान हुए। उनके द्वारा निराला की पत्रकारिता, छात्रावास युगीन पत्रकारिता पर एम. फिल. एवं पीएचडी शोध कार्य किया गया। प्रो. रश्मि कुमार ने बताया कि उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संस्थान से एक वृहद शोध परियोजना पर कार्य किया एवं अनेक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं के संयोजक रूप में अभूतपूर्व ख्याति अर्जित की। पत्रकारिता के सिद्धांत पर लिखी पुस्तक छात्रों के बीच अधिक लोकप्रिय हुई। उ.प्र. हिन्दी संस्थान द्वारा पत्रकारिता भूषण के अतिरिक्त अनेक संस्थाओं से भी पुरस्कृत हुए। सिंगपुर और मोरारिस के साहित्यिक सम्मेलनों में प्रतिभाग किया। हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, एलयू ने इस अपूर्णीय क्षति के लिए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।

विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

लखनऊ। विश्वविद्यालय, विधि संकाय की प्रतिष्ठित संस्था विधिक सहायता केंद्र व जिला विधिक प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 05/12/2022 को दिल्ली पब्लिक स्कूल, जानकीपुरम, सेक्टर 6 में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन विधि संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर (डॉ.) बीडी सिंह एवं विधिक सहायता केंद्र के अध्यक्ष (डॉ.) आलोक कुमार यादव के मार्गदर्शन में किया गया। शिविर का शुभारंभ विधिक सहायता केंद्र के सदस्य सुयश त्रिपाठी द्वारा उपस्थित छात्र- छात्राओं को विधिक सहायता केंद्र के संबंध में जानकारी देते हुए किया गया। कार्यक्रम की अग्रिम कार्यवाही में उपस्थित छात्रों को मौलिक अधिकार की जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित छात्रों को अनुच्छेद १४ से लेकर अनुच्छेद ३२ के मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवरण दिया गया। इसके उपरांत विधिक सहायता केंद्र के सदस्य मोहम्मद दानिश द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को अनुच्छेद ३२ के जरिए संवैधानिक निदान की जानकारी दी गई। शिविर के अग्रिम कार्यवाही में छात्रों को अनुच्छेद ५१-अ के अंतर्गत आने वाले मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया। इसके उपरांत छात्रों से अपने आस पास सफाई रखने, शांति सद्भाव बनाए रखने और वातावरण को शुद्ध रखने की शपथ दिलाई गई। शिविर के दौरान दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य नीरू भास्कर और विधिक सहायता केंद्र के सदस्य काव्यांजलि सिंह, सौरभ राठौर, निशांत कुमार, सुमित सिंह, भूमिका वर्मा, अंशिका त्रिपाठी, इरा उपाध्याय, रिया गौतम और शिवांगी सिंह उपस्थित रहे। शिविर के अंत में छात्रों द्वारा मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न पूछे गए और उपस्थित सदस्यों द्वारा जवाब दिया गया। शिविर के समापन में विद्यालय की प्रधानाचार्य नीरू भास्कर ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

विधिक सहायता केंद्र व जिला विधिक प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

वरिष्ठ संवाददाता लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय, विधि संकाय की प्रतिष्ठित संस्था विधिक सहायता केंद्र व जिला विधिक प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में दिल्ली पब्लिक स्कूल, जानकीपुरम



में विधिक साक्षरता शिविर का

आयोजन विधि संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर (डॉ.) बीडी सिंह एवं विधिक सहायता केंद्र के अध्यक्ष (डॉ.) आलोक कुमार यादव के मार्गदर्शन में किया गया। शिविर का शुभारंभ विधिक सहायता केंद्र के सदस्य सुयश त्रिपाठी द्वारा उपस्थित छात्र- छात्राओं को विधिक सहायता केंद्र के संबंध में जानकारी देते हुए किया गया। कार्यक्रम की अग्रिम कार्यवाही में उपस्थित छात्रों को मौलिक अधिकार की जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित छात्रों को अनुच्छेद १४ से लेकर अनुच्छेद ३२ के मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवरण दिया गया। इसके उपरांत विधिक सहायता केंद्र के सदस्य मोहम्मद दानिश द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को अनुच्छेद ३२ के जरिए संवैधानिक निदान की जानकारी दी गई। शिविर के अग्रिम

कार्यवाही में छात्रों को अनुच्छेद ५१-अ के अंतर्गत आने वाले मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया। इसके उपरांत छात्रों से अपने आस पास सफाई रखने, शांति सद्भाव बनाए रखने और वातावरण को शुद्ध रखने की शपथ दिलाई गई। शिविर के दौरान दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य नीरू भास्कर और विधिक सहायता केंद्र के सदस्य काव्यांजलि सिंह, सौरभ राठौर, निशांत कुमार, सुमित सिंह, भूमिका वर्मा, अंशिका त्रिपाठी, इरा उपाध्याय, रिया गौतम और शिवांगी सिंह उपस्थित रहे। शिविर के अंत में छात्रों द्वारा मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न पूछे गए और उपस्थित सदस्यों द्वारा जवाब दिया गया। शिविर के समापन में विद्यालय की प्रधानाचार्य नीरू भास्कर ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

प्रो. रमेश चन्द्र त्रिपाठी के स्मरण में श्रद्धांजलि सभा

अमृत विचार, लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में प्रो. रमेश चन्द्र त्रिपाठी की साहित्यिक सेवाओं का स्मरण करते हुए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभागीय शिक्षक, कर्मचारी व छात्राध्यक्ष उपस्थित रहे। विभाग के वरिष्ठ कुलपति आचार्य डॉ. रमेश चंद्र त्रिपाठी का तीन दिसंबर को लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया। प्रो. त्रिपाठी हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय में 1990 में प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुए। इससे पूर्व युवराज दत्त पीजी कॉलेज लखीमपुर में शिक्षक थे। वह 1998 से 2005 तक हिन्दी विभाग के उपाध्यक्ष रहे और इसी बीच पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष का दायित्व प्राप्त हुआ। शिवि की प्र. रश्मि कुमार ने कहा कि हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय इस अपूर्णीय क्षति के लिए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

अनुच्छेद 32 के जरिए संवैधानिक निदान की टी जानकारी

अमृत विचार, लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय, विधि संकाय की प्रतिष्ठित संस्था विधिक सहायता केंद्र व जिला विधिक प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल, जानकीपुरम में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक सहायता केंद्र के सदस्य सुयश त्रिपाठी द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को विधिक सहायता केंद्र के संबंध में बताते हुए मौलिक अधिकार की जानकारी दी। इस दौरान उपस्थित छात्रों को अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 के मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवरण दिया गया। इसके बाद विधिक सहायता केंद्र के सदस्य मोहम्मद दानिश द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को अनुच्छेद 32 के जरिए संवैधानिक निदान की जानकारी दी गई। शिविर के अग्रिम कार्यवाही में छात्रों को अनुच्छेद 51-अ के अंतर्गत आने वाले मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया।

VoL PAGE 6

छात्रों को दी मौलिक अधिकारों की जानकारी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय की प्रतिष्ठित संस्था विधिक सहायता केंद्र व जिला विधिक प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को जानकीपुरम सेक्टर 6 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। इस अवसर पर उपस्थित छात्रों को मौलिक अधिकारों की जानकारी दी गयी। इस दौरान उपस्थित छात्रों को अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 के मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवरण दिया। इसके बाद विधिक सहायता केंद्र के सदस्य मोहम्मद दानिश द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को अनुच्छेद 32 के जरिये संवैधानिक निदान की जानकारी दी गयी। शिविर के अग्रिम कार्यवाही में छात्रों को अनुच्छेद 51-अ के अंतर्गत आने वाले मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया। इसके बाद छात्रों से अपने आसपास सफाई रखने, शांति सद्भाव बनाये रखने और वातावरण को शुद्ध रखने की शपथ दिलायी गयी। शिविर के दौरान दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य नीरू भास्कर और विधिक सहायता केंद्र के सदस्य काव्यांजलि सिंह, सौरभ राठौर, निशांत कुमार, सुमित सिंह, भूमिका वर्मा, अंशिका त्रिपाठी, इरा उपाध्याय, रिया गौतम और शिवांगी सिंह उपस्थित रहे। अंत में छात्रों द्वारा मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न पूछे गये और उपस्थित सदस्यों द्वारा जवाब दिया गया। शिविर के समापन में विद्यालय की प्रधानाचार्य नीरू भास्कर ने धन्यवाद ज्ञापित किया।